अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2015

क्र. एफ-1(ए) 390-88-ब-2-दो.—श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 एवं 26 जुलाई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2015

क्र. एफ-1(ए) 165-94-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 एवं 26-07-2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015

क्र. एफ-11-26-2015-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ-11-7-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 01 अप्रैल 2015 से जारी ''मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015'' के नियम 9 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

1. विद्यमान नियम 9 (iii) के पश्चात् निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाता है:—

''परंतु जिला व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्रों द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के आंतरिक विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से अथवा 100 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी कम हो, की जावेगी. यह विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एक मुश्त देया होगा.''

2. विद्यमान नियम 9 (v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

'' 9 (v)-ग्रामीण क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्यौगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्र की असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जावेगा.

नगरीय क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य उक्त नगरीय क्षेत्र के निकटतम स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जायेगा.''

3. विद्यमान नियम 9 (v) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक इस शर्त के साथ जोड़ा जाता है कि इसके क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति तथा निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के अनुमोदन से जारी किये जावेंगे:—

" परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की दर कम प्रतीत होने पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को यह अधिकार होगा कि वे अपने संचालक मण्डल की अनुमति से उस मूल्य को बढ़ा सकें."

4. विद्यमान नियम 9 (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

" 9 (vi) विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. एफ-01-15-2015-तीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा "अल्लामा इकबाल अदबी मरकज" को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् भोपाल से पृथक कर मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् "अल्लामा इकबाल साहित्य प्रभाग को प्रभाग के लिए आवंटित बजट एवं इसकी चल-अचल संपत्ति एवं अमले के साथ मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी" में समाहित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. 1236-भू.अभि.-8-15.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील भीकनगांव जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
बोरुठ, प.ह.नं. 10,802.069	घोडवा, प.ह.नं. 10
बोरुठ, प.ह.नं. 10,531.018	खारवी, प.ह.नं. 10

क्र. 1237-भू.अभि.-8-15.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
धूलकोट, प.ह.नं. 06, 1012.424	नया बिलवा, प.ह.नं. 06
धूलकोट, प.ह.नं. 06, 1089.706	चौखण्ड, प.ह.नं. 06

नीरज दुबे, उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015

सार्वजनिक सूचना शुद्धि-पत्र का प्रकाशन

प्र. क्र. अ-82-2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति हेतु प्रसारित अनुदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान, संभाग, भोपाल द्वारा कालापीपल जलाशय के स्पील चैनल के निर्माण में आने वाली भूमि एवं परिसम्पत्तियों का जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन